राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, निकट यू0पी0 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226027
E-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण/सर्वोच्च प्राथमिकता/महात्वपूर्ण

पत्रांकः– 8965 /241/NULM/तीन/2001(SUH) SLMC दिनांक 04/01/2019

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उ0प्र0।

2 समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम
उ0प्र0।

3. सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा,
उ0प्र0।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परि0/नगर पंचायत
उ0प्र।

विषयः– रिट याचिका संख्या–55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में गठित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा शहरी बेघरों हेतु आश्रय गृहों के संचालन हेतु दिये गये सुझाव के अनुसार "एडवाइजरी" के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विगत दिनांक 28.12.2018 को राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक मा0 अध्यक्ष श्री बलविन्दर कुमार I.A.S सेवानिवृत्त/सदस्य रेरा उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान में पड़ रही कड़ाके की ठण्ड के दृष्टिगत जनपद एवं निकाय स्तर पर प्रशासन द्वारा शहरी बेघरों को शेल्टर होम में लाने एवं अस्थाई शेल्टर होम की सूची के अनुसार की गई व्यवस्था की प्रशंसा की गई। मुख्य रूप से जिला प्रशासन नगर निगम एवं शहर मिशन प्रबंधन इकाई डूडा लखनऊ द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की गई तथा अपेक्षा की गई कि सभी नगरीय निकाय लखनऊ की भांति रात्रि में अभियान के माध्यम से खुले में सो रहे शहरी बेघरों को स्थाई/अस्थाई शेल्टर होम में लाना सुनिश्चित करायें तथा वरिष्ठ अधिकारी भी रात्रि में भ्रमण कर यह अवश्य देखें कि शहर/निकाय में कहीं कोई व्यक्ति खुले में किसी भी दशा में न सोयें। नगर निगम एवं बड़े शहर विशेष ध्यान देकर यदि वर्तमान में आवश्यकता से कम अस्थाई शेल्टर होम हो तो आवश्यकतानुसार अस्थाई शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करे। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नगरीय निकायों द्वारा अस्थायी शेल्टर्स की उपलब्ध करायी गयी सूची शपथ पत्र के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल की दी गयी है तथा अस्थाई शेल्टर होम के संचालन हेतु अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0– 8446/241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-IV दिनांक 26.12.2018, 7676/241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-IV दिनांक 05.12.2018 एवं 7050/241/NULM/तीन/2001(SUH) SC Vol-IV दिनांक 16.11.2018 के द्वारा संचालन का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुनः अपेक्षा की गयी कि अस्थायी शेल्टर होम का सुचारू रूप से संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. समिति द्वारा वर्तमान में शहरो/निकायों से दैनिक आश्रय की क्षमता से बहुत कम औसतन लगभग 25% लोगों का ही शेल्टर होम में आश्रय लिये जाने की प्राप्त हो रही सूचनाओं एवं संचालन व्यवस्था पर विभिन्न शहरों से प्राप्त फीडबैक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों एवं शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्थाई एवं अस्थाई शेल्टर होम का सुचारू रूप से संचालन कराये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के सुझाव दिये गयेः–

i) सभी शहरी निकायों में DAY-NULM के पूर्ण सभी शेल्टर होम को तत्काल सी0एण्ड डी0एस0 से हैण्ड ओवर लेकर सूडा उ0प्र0 द्वारा चयनित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन तत्काल प्रारम्भ करायें। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाय। शहरों में पूर्व से स्थापित एवं संचालित NON DAY-NULM के सभी शेल्टर होम का संचालन मिशन गाइडलाइन के अनुसार किया जाय तथा नगरीय निकायों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र हेतु दी गयी

सूची में उल्लिखित सभी अस्थाई शेल्टर होम का भी विधिवत सुचारू रूप से सभी आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं सहित संचालन किया जाये। अस्थाई शेल्टर होम का कतिपय शहरों द्वारा सुचारू रूप से पर्याप्त संख्या में संचालन न किये जाने की सूचना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गई है।

ii) शहरी बेघरों को आश्रय दिये जाने की सूचना आगामी तिथि को मा0 उच्चतम न्यायालय को अवगत कराने के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी निकायों/शहरों में संचालित DAY-NULM/NON DAY-NULM एवं सभी अस्थाई शेल्टर होम में रूकने वाले व्यक्तियों की रजिस्टर में इन्ट्री की जाय तथा प्रत्येक दिवस सभी नगरीय निकाय अपने जनपद के सी0एम0एम0यू0 डूडा को शेल्टर होम में रूकने वाले व्यक्तियों की शेल्टरहोमवार सूचना प्रत्येक दशा में ईमेल, दूरभाष/मोबाइल के माध्यम से प्रातः 11 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शेल्टर होम में रूकने वाले व्यक्तियों का विवरण तैयार कर मा0 उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया जा सके। सभी नगरीय निकाय अपने यहां शेल्टर होम के कार्य हेतु किसी अधिकारी/कर्मी को नामित कर तथा नामित अधिकारी/कर्मी का नाम पदनाम एवं मोबाइल नम्बर व ईमेल आई0डी0 डूडा को प्रत्येक दशा में तत्काल उपलब्ध करा दें। सी0एम0एम0यू0 डूडा का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने यहां नोडल अधिकारी/कर्मी नामित कर सभी नगरीय निकायों को अपने नोडल अधिकारी, कर्मी का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर व मेल आईडी देकर समन्वय से प्रत्येक दिवस सभी शेल्टर होम में रूकने वाले व्यक्तियों की शेल्टर होम एवं निकायवार सूचना गूगल ड्राइव पर प्रत्येक दशा में 12 बजे तक फीड करेंगे। यदि गूगल ड्राइव पर अस्थाई शेल्टर होम की सूचना भरने, नया अस्थाई शेल्टर होम की फीडिंग हेतु रो व कॉलम बढ़ाने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका तत्काल निराकरण सम्बन्धित शहर मिशन प्रबंधक एम0आई0एस0/एस0एम0एण्ड आई0डी0 सूडा मुख्यालय में एम0आई0एस0 विशेषज्ञ श्री विवेक मोहन से सम्पर्क कर करेंगे। विशेष परिस्थितियों में दैनिक सूचना suhnulmup@gmail.com के माध्यम से भेजी जायेगी। दैनिक सूचना अवकाश व साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी उपलब्ध करायी जायेगी।

iii) नगरीय निकायों द्वारा शेल्टर होम/अस्थाई शेल्टर होम के संचालन के सम्बन्ध में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन मार्केट, लेबर अड्डा के आस–पास सभी शेल्टर होम का नाम, क्षमता, संचालक संस्था प्रबंधक, केयर टेकर का नाम, मोबाइल नम्बर व शेल्टर होम में उपलब्ध मुख्य सेवाओं/सुविधाओं का डिस्पले साइन बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा तथा समय–समय पर अन्य संचार माध्यमों से भी प्रचार प्रसार किया जाये ताकि शहरी बेघरों को शेल्टर होम की जानकारी हो सके। यह जानकारी स्थाई शेल्टर होम के बाहर भी लिखी जायेगी।

iv) शेल्टर होम में आश्रय लेने हेतु आधार कार्ड अनिवार्य बाध्यता नहीं है, कोई भी अन्य पहचान पत्र लिया जा सकता है यदि कोई भी पहचान पत्र किसी बेघर के पास नहीं है तो भी उसे आश्रय से मना नहीं किया जायेगा, उसे आश्रय, विस्तृत रूप से पहचान की तस्दीक के उपरान्त पहचान सम्बन्धी सुसंगत जानकारी प्राप्त कर उसकी फोटो मोबाइल से खींचकर संरक्षित करते हुए आश्रय दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सभी स्थाई शेल्टर होम में शेल्टर होम के बाहर यह विवरण सुचारू रूप से अंकित भी किया जाये।

v) DAY-NULM शेल्टर होम में सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था भी करायी जायेगी। DAY-NULM के सभी शेल्टर्स में किचेन सामग्री, चूल्हा व गैस सिलेण्डर आदि उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक भोजनालय में न्यूनतम दर आधारित भोजन आश्रय लेने वालों के लिए बिना लाभ आधारित (No Profit No Loss) पर उपलब्ध कराया जायेगा। कतिपय अति अक्षम व्यक्ति को भोजन निःशुल्क भी दिया जायेगा। सामुदायिक किचेन की व्यवस्था होने तक किचेन आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के खाना बनाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

vi) आश्रय गृहों में मिशन गाइडलाइन के अनुसार बेघरों को आश्रय दिया जायेगा। गाइडलाइन में बेघरों को आश्रय लेने हेतु समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया जिसके दृष्टिगत किसी भी बेघर व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के उपरान्त आश्रय लेने हेतु मना नहीं किया जायेगा।

vii) नगर निकायों द्वारा आश्रय गृह से कूडा, कचरा उठाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कर प्रत्येक दिवस कूडा, कचरा उठवाया जायेगा। शेल्टर होम के आस–पास की सफाई व्यवस्था पर नगरीय निकायों द्वारा विशेष ध्यान देकर निरन्तर सफाई भी करायी जाये।

viii) सभी शेल्टर होम की सम्बद्धता भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुक्रम में की जाय तथा जिन शहरों में मेडिकल कालेज है वहां के शेल्टर होम की सम्बद्धता मेडिकल कालेजों से की जाय। मेडिकल कालेज के इन्टर्नस का समय समय पर शेल्टर्स में भ्रमण कर बेहतर संचालन में उनका सहयोग/सुझाव भी लिया जाय। समय–समय उनके सहयोग से अन्य अस्पतालों/चिकित्सकों से समन्वय कर हेल्थ कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।

ix) प्रदेश में कतिपय शेल्टर्स जो क्षमता से अधिक शहरी बेघरों को निरन्तर आश्रय दे रहे है उनके अभिलेखों की जांच कर नगरीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दरी, गद्दा, कम्बल, तकिया एवं चादरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

x) सामुदायिक भोजनालय हेतु खाद्य एवं रसद विभाग से समन्वय कर सस्ते दरों पर शेल्टर होम को राशन दिलाया जाय ताकि सामुदायिक किचन का संचालन हो सके।

xi) श्रम विभाग से समन्वय कर शेल्टर में आश्रय लेने वाले श्रमिकों का कैम्प लगाकर पंजीकरण कराते हुए श्रम विभाग की योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाये।

xii) शेल्टर होम का जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा निरन्तर भ्रमण कराकर देखरेख भी की जाय तथा समय–समय पर औचक पुलिस अधिकारियों के भ्रमण की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधियों की शिकायतों से बचा जा सके।

xiii) प्रत्येक शेल्टर होम में शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी के गठन का प्राविधान है जहां अभी तक गठन नहीं हुआ हो तत्काल गठन कर प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर कार्यवाही भी रजिस्टर में अंकित की जाय तथा भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

अतः मा0 राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा दिये गये उपरोक्तानुसार सुझाव एवं गाइडलाइन के अनुसार शेल्टर्स का संचालन किया जाना सुनिश्चित कराया जाये, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

भवदीय

3/7/2019

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री बलविन्दर कुमार, IAS (से0नि0), अध्यक्ष, राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना, उ0प्र0 को उनके निर्देश के क्रम में अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/नगर विकास उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी नगरीय निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को निर्माण कार्य पूर्ण सभी 78 शेल्टर होम एक सप्ताह में नगरीय निकाय को हस्तगत कर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5 श्री सन्दीप खरे/विनोद यादव, सदस्य राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति।
6 समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे सभी नगरीय निकायों एवं संचालक संस्थाओं को पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए समन्वय कर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
7. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक